



उत्तराखण्ड वन विकास निगम – टनकपुर विक्रय प्रभाग

माँ पूर्णागिरी वन विकास परिसर, टनकपुर (चम्पावत)

खड़े वृक्षों की नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि लौगिंग प्रभाग, टनकपुर द्वारा बूम राजि की सड़े/स्तरनाक वृक्षों की लॉटों के विक्रय हेतु इस प्रभाग को लॉट सं0-14, 15, 18/2024-25 की विक्रय सूची प्राप्त हुई है, जिनका सार्वजनिक भौतिक नीलाम दिनांक - 05.03.2025 को दोपहर 12:00 बजे से टनकपुर डिपो सं0-02 के नीलाम हॉल में सम्पन्न किया जाएगा। अपेंजीकृत क्रेता को नीलाम में प्रतिभाग हेतु नेक जमानत/गेटमनी/प्रवेश शुल्क रु0-10,000 जमा करना अनिवार्य है।

अतः समस्त इच्छुक फंजीकृत एवं अपेंजीकृत ब्रेतागण खड़े वृक्षों के नीलाम में आधिकारिक संस्था में प्रतिभाग करने का कष्ट करें विक्रय सूची एवं नीलाम शर्त किसी भी कार्यदिवस में प्रभागीय कार्यालय या टनकपुर द्वितीय डिपो से प्राप्त की जा सकती है तथा वन निगम की वेबसाइट <http://ufdc.in> से भी डाउनलोड की जा सकती है।

दूरभाष:- 9568003219, 8475951646


प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, टनकपुर

उत्तराखण्ड वन विकास निगम



लड़कों के सार्वजनिक नीलाम/निविदा हेतु शर्तें

- सखे वृक्षों के विक्रय हेतु नीलाम/निविदा कार्यवाही 'जहां है जैसा है' के आधार पर सम्पन्न होगा।
 - नेक जमानत/गेट मनी/प्रवेश शुल्क :-
 (I) नीलाम/निविदा नीलाम में भाग लेने हेतु इच्छुक क्रेता द्वारा नेक जमानत/गेटमनी/प्रवेश शुल्क हेतु रु0 10,000/- (दस हजार रुपये मात्र) (निविदा मूल्य का 2.5 % या रु0 10,000/- जो भी अधिक हो) का बैंक ड्राफ्ट/पे आईट/राष्ट्रीय बचत पत्र जो सम्बन्धित प्रभागीय लौणिंग प्रबन्धक/प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक या प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पद नाम बंधक/निरूपित हो, जमा करना अनिवार्य है। नीलाम हेतु प्रवेश शुल्क नगद भी जमा की जा सकती है। जिसकी मूल धनप्राप्ति रसीद नीलाम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर्ती होगी।
 - (II) उच्चतम प्राप्त नीलाम/निविदा सम्बन्धी नेक जमानत/गेटमनी/प्रवेश शुल्क, जो विक्रय मूल्य सम्बन्धी धनराशि देयकों के विलम्ब समायोजित हो सकेगी, को रोककर अन्य क्रेताओं की उक्त धनराशि यथाशीघ्र विलम्बम 3 (तीन) दिन के अन्दर वापस कर दी जायेगी या क्रेता के लिखित अनुरोध पर अन्य लौट के देयकों के विलम्ब समायोजित की जा सकेगी।
 - इच्छुक क्रेता द्वारा अपने नाम, पता आदि के प्रमाणन हेतु निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है :-
 (I) व्यापार कर खाता संख्या प्रमाण पत्र (II) पैन कार्ड एवं (III) आधार कार्ड और (IV) राशनकार्ड/वोटर कार्ड/वाहन चालक अनुज्ञा एवं अन्य पहचान पत्र जो पहचान पत्र के रूप में मान्य हो, की स्थ सत्यापित छायाप्रति।
 - सम्बन्धित लौट की विक्रय सूची में लौट की स्थिति, वृक्षों का विवरण, कार्य अवधि अंकित है। इच्छुक क्रेता को चाहिए कि नीलाम/निविदा में भाग लेने से पूर्व लाट के वृक्षों का भली-भौंति निरीक्षण कर लें। यदि कोई भिन्नता हो तो क्रेता यथा स्थिति पुष्टि उपरान्त ही नीलाम/निविदा में भाग लेवें। नीलाम/निविदा स्वीकार होने के पश्चात लाट की मात्रा-गुणवत्ता के सम्बन्ध में क्रेता का कोई प्रत्यावेदन/क्लेम स्वीकार नहीं किया जायेगा/मान्य नहीं होगा और प्रथम दृष्टया ही अमान्य कर दिया जाएगा।
 - (I) नीलाम में लाट की बोली स्वीकार होने के तुरन्त बाद उसी दिन क्रेता को उस लाट की कीमत का 10 प्रतिशत जमानत वन निगम के अधिकृत कर्मचारी के पास जमा करके रसीद लेनी होगी।
 (II) निविदा की दशा में उच्चतम निविदा सूचना प्रेषित किए जाने की तिथि से (सूचना प्रेषित किए जाने की तिथि छोड़कर) 7 (सात दिन) के अन्दर लौट की कीमत का 10 प्रतिशत जमानत जमा करना अनिवार्य है।
 (III) यदि क्रेता द्वारा निर्धारित समयान्तरात जमानत नहीं जमा की जाती है तो तत्सम्बन्धी जमा, नेक जमानत/गेट मनी/प्रवेश शुल्क यदि कर लिया जाएगा और लौट के विक्रय निस्तारण हेतु वन निगम स्वतंत्र होगा।
 (IV) लौट का कार्य संतोषजनक निर्धारित प्रक्रियानुसार सम्पन्न किए जाने के उपरान्त ही जमा जमानत की वापसी/समायोजन होगा।
 - नीलाम/निविदा प्रपत्र में यथानिर्दिष्ट क्रेता को हस्ताक्षर करने होंगे।
 - बिक्री का अनुमोदन वन निगम के सक्रम अधिकारी द्वारा दिया जाएगा। सम्बन्धित प्रभागीय प्रबन्धक/डिपो अधिकारी/प्रतिनिधि द्वारा इसकी सूचना क्रेता को पंजीकृत डाक/कोरियर के माध्यम से क्रेता के पते पर भेजी जायेगी। डाक में विलम्ब की जिम्मेदारी वन निगम की नहीं होगी।
 - नीलाम/निविदा की तिथि से 30 (तीस दिन) के अन्दर (नीलाम/निविदा की तिथि छोड़कर) यदि लाट का अनुमोदन क्रेता को सूचित नहीं किया जाता है तो क्रेता लाट क्रय करने को बाध्य नहीं होगा रूप जमा जमानत की वापसी/समायोजन हेतु क्रेता स्वतंत्र होगा।
 - क्रेता को लाट का सम्पूर्ण विक्रय मूल्य, व्यापार कर, आयकर, मण्डी शुल्क (शासन द्वारा निर्धारित दरों पर) आदि देयक अनुमोदन सूचना जारी होने के (जारी तिथि छोड़कर) 20 दिन के भीतर जमा करना होगा। विशेष परिस्थितियों में अवशेष विक्रय मूल्य पर सूचना जारी होने के लिए विलम्ब शुल्क के साथ अधिकतम 10 (दस दिन) दिनों की मियाद वृद्धि अनुमन्य होगी। मियाद 0.25 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क के साथ अधिकतम 10 (दस दिन) दिनों की मियाद वृद्धि अनुमन्य होगी। यदि मियाद वृद्धि, समुचित कारणों का उल्लेख करते हुए प्रभागीय प्रबन्धक द्वारा दी जा सकेगी। यदि मियाद वृद्धि की अवधि में भी समस्त देयक जमा नहीं किया जाता है तो लाट की बिक्री स्थित: निरस्त हो जायेगी और क्रेता की जमानत जब हो जायेगी और लौट का निस्तारण करने हेतु वन निगम स्वतंत्र होगा।
 - लाट का विक्रय मूल्य, व्यापार कर, आयकर मण्डी शुल्क, स्थाप शुल्क आदि देयक सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/प्रभागीय लौणिंग प्रबन्धक के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/पे-आईट RTGS/NFET/E-Paymen द्वारा ही स्वीकार होगा। सीमान्त समायोजन हेतु अधिकतम रु0 3000/- नगद जमा हो सकते हैं।

(1)

11. समस्त देयकों की अदायगी हो जाने पर कार्यादेश प्रभागीय प्रबन्धक द्वारा जारी किया जाएगा जो दस्ती/डाक द्वारा भेजा जाएगा। कार्यादेश जारी होने की तिथि के 10 दिन के अन्दर (जारी भेजने की तिथि छोड़कर) क्रेता को लाट में कार्य आरम्भ करना होगा। कार्य आरम्भ करने से 03 दिन पूर्व उसे वन निगम के सम्बन्धित अधिकारी (जिसका ऊलेख कार्यादेश में होगा) को लिखित रूप से सूचित करना होगा तथा वन निगम के प्रतिनिधि की उपस्थिति में कार्य आरम्भ करना होगा।
12. लौट में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व क्रेता को ₹० 100/- के स्थाप्त ऐपर में अनुबन्ध करना होगा। नीलाम/निविदा शर्त भी अनुबन्ध का भाग होंगी।
13. यदि क्रेता कार्यादेश निर्गत होने के 10 (दस) दिनों के अन्दर कार्य आरम्भ नहीं करता है तो लाट के विरुद्ध जमा विक्रय मूल्य आदि समस्त घनराशि सहित स्वतः जब्त हो जायेगी तथा लाट का निस्तारण करने हेतु वन निगम स्वतंत्र होगा।
14. क्रेता केवल चिह्नित वृक्षों का ही पातन/कटान करेगा। यदि किसी वृक्ष के विषय में सन्देह हो तो क्रेता उसके निराकरण हेतु वन निगम के सम्बन्धित इकाई अधिकारी को लिखित आवेदन करेगा। निराकरण होने के पश्चात ही ऐसे वृक्ष का पातन/कटान करेगा। यदि क्रेता चिह्नित वृक्ष के अतिरिक्त किसी अन्य वृक्ष का पातन/कटान करेगा तो उसे इसके लिए निर्धारित अर्थ दण्ड देना होगा। यदि लाट में कार्य के समय किसी भी समय यह ज्ञात होगा कि क्रेता द्वारा कहीं भी अवैध पातन/कटान किया है तो लाट की बिक्री तत्काल निरस्त कर दी जाएगी और क्रेता द्वारा लाट हेतु समस्त जमा घनराशि जब्त कर ली जायेगी। चिह्नित समस्त छ्ये वृक्षों एवं तत्काल निरस्त कर दी जाएगी और क्रेता द्वारा लाट हेतु समस्त जमा घनराशि जब्त कर ली जायेगी। इसके अतिरिक्त वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी।
15. लाट के क्रेता को वृक्षों का पातन/कटान, आवश्यकतानुसार लौगिंग आदि करके इस तरह से करना होगा ताकि लाट के समीपस्थि बिजली लाइन, टेलीफोन लाइन या भवनों आदि को क्षति न हो। लाट में काटे जा रहे वृक्षों से मार्ग पर चलने वाले वाहनों एवं राहगीरों आदि की सुरक्षा हेतु (आवश्यकतानुसार) लाल झण्डी का प्रयोग क्रेता को करना होगा। यदि लाट में वृक्षों के कटान से किसी व्यक्ति अथवा किसी सम्पत्ति की कोई क्षति होगी तो इसकी प्रतिपूर्ति क्रेता को करनी होगी।
16. क्रेता द्वारा नियमानुसार सुसंगत नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन करते हुए लाट में कार्यरत श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होगा।
17. क्रेता को लाट से माल निकासी वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन निगम के निर्धारित प्रपत्र 4.5 में वन निगम के अधिकृत कर्मचारी द्वारा दी जायेगी। निकासी खनना पर क्रेता अथवा क्रेता के अधिकृत प्रतिनिधि एवं वाहन चालक को हस्ताक्षर करना आंतिवार होगा। निकासी नियमानुसार सूर्योदय से सूर्योस्त के बीच दी जायेगी। निकासी के समय नियमानुसार अभिवहन शुल्क भी क्रेता को देना होगा, निकासी हेतु लाट स्थल को ही ट्रान्जिट डिपो माना जायेगा।
18. विक्रेता सूची/कार्यादेश में अंकित समय सीमा-निर्धारित कार्य अवधि के अन्तर्गत क्रेता को लाट (जाव) के सभी छ्ये वृक्षों का पातन/कटान एवं उत्पादित प्रकाश जलौनी आदि की निकासी करनी होगी। निकासी से पूर्व प्रकाश के बोटों पर वन निगम अपने स्वामित्व का घन चिन्ह लगायेगा। यदि क्रेता निर्धारित समय के अन्दर पातन/कटान व उत्पादित हुए प्रकाश/जलौनी की निकासी नहीं करेगा तो क्रेता के लिखित आवेदन पर उसे 15 दिनों का अतिरिक्त समय अनुमत्य हो सकता है, जिसके लिए क्रेता को लाट के कुल विक्रय मूल्य का 0.10 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अवधि विस्तार शुल्क देना होगा। यदि इन अतिरिक्त 15 दिनों में भी क्रेता लाट का कार्य पूर्ण नहीं करता है तो छ्ये वृक्षों एवं उत्पादित समस्त प्रकाश/जलौनी पर वन निगम का स्वामित्व हो जाएगा जिसका निस्तारण करने हेतु वन निगम स्वतंत्र होगा।
19. लाट की कार्यसम्पादित के बाद क्रेता द्वारा इसकी लिखित सूचना सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक को दी जाएगी। तदुपरान्त नियमानुसार कार्य सम्पन्न होने की दशा में क्रेता द्वारा वन संरक्षण अधिनियम सहित सम्बन्धित सुसंगत नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।
20. क्रेता पर किसी भी प्रकार की बकाया वसूली क्रेता से भू-राजस्व के रूप में की जा सकती है।
21. लौट का कार्य निर्धारित प्रक्रियानुसार एवं संतोषजनक सम्पन्न होने के उपरान्त जमा जमानत वावस/समायोजित की जाएगी।
22. क्रेता एवं प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक के मध्य विवाद उत्पन्न होने पर सम्बन्धित “क्षेत्रीय प्रबन्धक उत्तराखण्ड वन विकास निगम” पंच निर्णयक होंगे और उनका निर्णय अन्तिम होगा जो दोनों पक्षों का मान्य होगा।

प्रबन्ध निदेशक

उत्तराखण्ड वन विकास निगम

छपान सूची

लॉट नं. 14 | 2024-25

लौट नं. -

प्रबन्ध कार्यवृत्त - साल मिश्रित वन

पातन प्रकार - मोटर मार्ग (टी0जे0) में ठुलीगाड़ के समीप भू-स्खलन से खतरा बने वृक्षों का छपान।

रेन्ज - बूम

क्षेत्र का नाम - कलसनदेव क0सं0 1अ एवं 5अ

साइड क्वालिटी - II III

सी0सी0 एफ0फैक्टर / आयतन घ0मी0में - 11.23 घ0मी0

छपान घन नमूना

ठेका अवधि -

क्र0 सं0	प्रजाति	व्यास वर्ग डेसी मीटरमें																योग		
		1-2		2-3		3-4		4-5		5-6		6-7		7-8		8-9				
		योग्य	अयोग्य	योग्य	अयोग्य	योग्य	अयोग्य	योग्य	अयोग्य	योग्य	अयोग्य	योग्य	अयोग्य	योग्य	अयोग्य	योग्य	अयोग्य	योग्य	अयोग्य	
1	सैन हरा खड़ा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/1	-	-	01
2	साल हरा खड़ा	-	-	-	-	-	-	2,3/2	-	4/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03
		कुल योग-		-	-	-	-	02	-	01	-	-	-	-	-	-	01	-	-	04

ह0व0बी0अ0

हैमा दूनी

(वन्. लौट आष्टिकारी)

ह0छपानअ0

अरत गिह अग्नि

वे.वे.

ह0 वन क्षेत्राधिकारी

Prashant
ह0उप प्र0व0अ0

ह0प्र0व0अ0

छपान सूची

लौट नं० -

प्रबन्ध कार्यवृत्त - साल मिश्रित वन

पातन प्रकार - मां पूर्णागिरी धाम में खतरा बने वृक्षों का छपान।

रेज्ज - बूम

क्षेत्र का नाम - पूर्णागिरी क०सं० १अ व ३अ.

साइड क्वालिटी - II III

सी०सी० एफ०फैक्टर / आयतन घ०मी०में - 9.915 घ०मी०

लौट छेषण - १५/२०२४-२५

छपान घन नमूना

ठेका अवधि -

क्र०	प्रजाति	व्यास वर्ग डेसी मीटरमें												योग						
		1-2		2-3		3-4		4-5		5-6		6-7		7-8		8-9		9 से ऊपर		
स०		योग्य	अयोग्य	योग्य	अयोग्य	योग्य	अयोग्य	योग्य	अयोग्य	योग्य	अयोग्य	योग्य	अयोग्य	योग्य	अयोग्य	योग्य	अयोग्य	योग्य	अयोग्य	
1	बाकुली हरा खड़ा	-	-	0	0	0	1/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	01
2	सैन हरा खड़ा	-	-	0	0	0	0	0	2/1	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	01
3	साल हरा खड़ा	-	-	0	0	0	3.4/2	0	0	6/1	0	5/1	0	0	0	0	0	-	-	04
	कुल योग-	-	-	0	0	0	03	0	01	01	0	01	0	0	0	0	0	0	-	06

Rakulum
ह०व०बी०अ०

जू.१०/१०
ह०छपानअ०

जू.१०/१०
ह० वन्देश्वराधिकारी

Prashant
ह०उप प्र०व०अ०

ह०प्र०व०अ०

छपान सूची

लाइट सेट्प 18 | 2024-25

ट नं -

प्रबन्ध कार्यवृत्त - साल मिश्रित वन

पातन प्रकार - मां पूर्णागिरी क्षेत्र में आवासीय मकान को खतरा बने वृक्षों का छपान

रेन्ज - बूम

क्षेत्र का नाम - पूर्णागिरी बीट कक्ष सं 03 में छपान कार्य

साइड क्वालिटी - II III

सी0सी0 एफ0फैक्टर / आयतन घ0मी0में - 4.603 घ0मी0

छपान घन नमूना

ठेका अवधि -

क्र0 सं0	प्रजाति	व्यास वर्ग डेसी मीटरमें																योग		
		1-2		2-3		3-4		4-5		5-6		6-7		7-8		8-9				
		योग्य	अयोग्य	योग्य	अयोग्य	योग्य	अयोग्य	योग्य	अयोग्य	योग्य	अयोग्य	योग्य	अयोग्य	योग्य	अयोग्य	योग्य	अयोग्य			
1	साल हरा खड़ा	-	-	-	-	-	3/1	-	2/1	-	1/1	-	-	-	-	-	-	03		
		कुल योग-		-	-	01	-	01	-	01	-	-	-	-	-	-	-	03		

Rakesh
ह0व0बी0अ0
पूर्णागिरी वी

ह0छपानअ0
लप व0स्ट0अ0
पूर्णागिरी जनुआरी

ह0 वन क्षेत्राधिकारी

ह0उप प्र0व0अ0

ह0प्र0व0अ0